

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक...../

पटना, दिनांक.....

प्रेषक,

सं० सं०-०५/उ०नि०ब० (पुनर्विनियोग) ०३/२०१६

सेवा में,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

द्वारा :-

वित्त विभाग।

विषय :-

संलग्न विवरणी के अनुदान संख्या २३ के मुख्य शीर्ष-२८५२ उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-०८-उपभोक्ता उद्योग, लघुशीर्ष-००१ निदेशन तथा प्रशासन, मांग संख्या-२३, उपशीर्ष-०००१-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय, विपत्र कोड N2852080010001 विषय शीर्ष ०१०१ वेतन में रू० ४,२०,०००/- (चार लाख बीस हजार) मात्र का पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश :-

बिहार वित्तीय नियमावली खण्ड-I के नियम ४८९ के अन्तर्गत स्वीकृत।

- २- राशि का विकलन मुख्यशीर्ष २८५२ उद्योग उपमुख्य शीर्ष ८० सामान्य लघुशीर्ष ००१ निदेशन तथा प्रशासन मांग संख्या २३ उपशीर्ष ०००२ निदेशन विपत्र कोड N2852800010002 विषय शीर्ष ०१०३ जी०या० भत्ता मद से रू० ४,२०,०००/- (चार लाख बीस हजार) मात्र बचत की राशि से विकलित होगा।
- ३- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।
- ४- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।
- ५- प्रस्ताव में सचिव (संसाधन) वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या ०५/उ०नि०ब० (पुनर्विनियोग) ०३/२०१६ (छाया संचिका) के पृष्ठ ०७ पर दिनांक ०३.०३.२०१७ को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक...../

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक

ह०/-

अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक १११...../

प्रतिलिपि :- उप सचिव, बजट शाखा, वित्त विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग/ उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं आई०टी०-मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक ०९/०३/२०१७

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

| शीर्षक जिसके अधीन अतिरिक्त उपबंध अपेक्षित है। मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग उपमुख्य शीर्ष 08-उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन मांग संख्या 23 उपशीर्ष 0001 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय, विपत्र कोड N2852080010001 | | | | | | शीर्षक जिससे विनियोग प्रस्तावित है। मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग उपमुख्य शीर्ष 80 सामान्य लघु शीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन मांग संख्या 23 उपशीर्ष 0002 निदेशन विपत्र कोड N2852800010002 | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|--|-------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|---|-----------------|---------------------------------|
| विनियोग की प्राथमिक इकाईयाँ | मूल उपबंध (स्वीकृत बजट प्राक्कलन) | वर्तमान उपबंध | तत्कालिक प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित व्यय | अपेक्षित अतिरिक्त उपबंध | कुल उपबंध जो जोड़ने के बाद रहेगा | विनियोग की प्राथमिक इकाईयाँ | मूल उपबंध (स्वीकृत बजट प्राक्कलन) | वर्तमान उपबंध | तत्काल लिए गए प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च | प्रत्यापित राशि | कुल उपबंध जो घटाने के बाद रहेगा |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01 01 वेतन | 2326000 | 2326000 | 2746000 | 420000 | 2746000 | 01 03 जी०या० भत्ता | 126719000 | 126719000 | 126299000 | 420000 | 126299000 |
| | | | | 420000 | | | | | | 420000 | |

टिप्पणी

- (क) स्तम्भ-1 और 7 में ऐसे लघु उद्योग, उप शीर्ष दिखाये जाय जिससे इकाई संबंधित हो।
- (ख) स्तम्भ 3 या 9 में सम्पर्क पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल अनुदान और पूरक या अतिरिक्त अनुदान की राशि सक्षम पदाधिकारी के आदेशानुसार अन्य इकाईयों में पुनर्विनियोजित रकम को घटाकर दिखाई जाय। स्तम्भ 3 और 9 में आँकड़े पीठ पर अंकित किया जाय।
- (ग) स्तम्भ 6 में 3 और 5 का जोड़ दिखाया जाय।
- (घ) स्तम्भ 12 में स्तम्भ 9 और 11 के आँकड़ों का अन्तर दिखाया जाय।



अतिरिक्त पुर्नविनियोग के लिए आवेदन पत्र

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

संलग्न विवरणी के अनुदान संख्या 23 के मुख्य शीर्ष-2852 उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-08 उपभोक्ता उद्योग-लघुशीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0001 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय, विपत्र कोड N2852080010001 विषय शीर्ष 0101 वेतन में रू0 4,20,000 (चार लाख बीस हजार) मात्र का पुर्नविनियोग की स्वीकृति।

- 2- प्रस्तावित पुर्नविनियोग के संबंध में स्पष्टीकरण :-
वचनवद्ध दायित्वों के भुगतान हेतु मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-08 उपभोक्ता उद्योग-लघुशीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0001 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय, विपत्र कोड N2852080010001 विषय शीर्ष 0101 वेतन में रू0 4,20,000 (चार लाख बीस हजार) मात्र की अतिरिक्त आवश्यकता है। राशि का उपबंध मुख्यशीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80 सामान्य लघु शीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन मांग संख्या-23 उपशीर्ष 0002 निदेशन विपत्र कोड N2852800010002 विषय शीर्ष 0103 जी0या0 भत्ता मद से रू0 4,20,000 /- (चार लाख बीस हजार) मात्र बचत राशि को प्रत्यर्पित कर पुर्नविनियोग द्वारा प्रस्तावित है।
- 3- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।
- 4- पुर्नविनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण तथा प्रत्यर्पित बचत के संबंध में स्पष्टीकरण यदि कुछ हो :-
पुर्नविनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण उपर कड़िका 2 में अंकित है।
- 5- स्तम्भ 2 और 3 तथा स्तम्भ 8 और 9 में यदि कोई अंतर हो तो उसका स्पष्टीकरण :-
(क) 2 एवं 3 में शून्य।
(ख) 8 एवं 9 में शून्य।

14

आइ.टी.ओ. मैनेजर
उद्योग विभाग

2/